न्यायालय राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश, ग्वालियर

समक्षः– श्री एस0 एस0 अली
सदस्य

प्रकरण क्रमांक निगरानी 3456–एक/2016, एवं निगरानी प्रकरण कमांक 1023–दो/2017 के विरूद्ध पारित आदेश दिनांक 27–09–2016, 28.2.17 के द्वारा न्यायालय कलेक्टर जिला श्योपुर के प्रकरण कमांक 31/अपील/2015–16.

....

1–लियाकत पुत्र सरदार खां
निवासी ग्राम मयापुर तहसील
व जिला श्योपुर म0 प्र0

––– आवेदक

विरूद्ध

1–म0 प्र0 शासन
2–पुष्पा बाई पुत्री जुग्गी आदिवासी
3–बाबूलाल पुत्र जगन्नाथ ढेरवा
निवासीगण ग्राम मयापुर तहसील
व जिला श्योपुर म0 प्र0

––– अनावेदकगण

....

श्री एस0 के0 वाजपेयी, अभिभाषक, आवेदक
श्री अजय चतुर्वेदी, पैनल अभिभाषक, अनावेदक–1
सूचना उपरांत अनवेदक कमांक–2, 3 अनुपस्थित

....

आदेश

(आज दिनांक 4/12/2018 को पारित)

आवेदक द्वारा यह निगरानी कलेक्टर जिला श्योपुर द्वारा पारित आदेश दिनांक 27–09–2016 एवं 28.2.17 के विरूद्ध मध्यप्रदेश भू–राजस्व संहिता 1959 (संक्षेप में आगे जिसे संहिता कहा जायेगा) की धारा 50 के अन्तर्गत प्रस्तुत की गई है ।

2–प्रकरण का सारांश संक्षेप में इस प्रकार है कि अनावेदक कमांक–2 पुष्पा बाई पुत्री जग्गू अदिवासी द्वारा एक आवेदन पत्र कलेक्टर श्योपुर को इस आशय का प्रस्तुत किया कि प्रार्थिनी के पिता के नाम स्वामित्व एवं आधिपत्य की भूमि सर्वे कमांक 190/4 रकवा 20 बीघा ग्राम मयापुर में स्थित है। खसरा नकल लेने पर ज्ञात हुआ कि फर्जी लोगों ने अपने नाम फर्जी इन्द्रांज करा लिया गया है। उक्त आवेदन पर से कलेक्टर जिला श्योपुर द्वारा अनुविभागीय आधिकारी को जांच हेतु भेजा गया, अनुविभागीय आधिकारी द्वारा तहसीलदार श्योपुर को प्रतिवेदन देने हेतु भेजा गया। तहसीलदार श्योपुर द्वारा दिनांक 17.8.11 को विस्तृत जांच करने के पश्चात पाया गया कि लटूरा पुत्र सांवलिया आदिवासी का पटट्ा निरस्त अनुविभागीय अधिकारी श्योपुर के प्रकरण कमांक 269/73–17/86 आदेश दिनांक 22.7.74 से हो चुका है। आवेदक को मयापुर की भूमि सर्वे कमांक 190/4 रकवा 10 बीघा भूमि का पटट्ा नायब तहसीलदार वृत्त गोरस जिला श्योपुर के प्रकरण कमांक 03/95–96/अ–86 आदेश दिनांक 31.1.96 से प्रदाय हुआ है एवं तहसीलदार श्योपुर द्वारा प्रतिवेदन आगामी कार्यवाही हेतु अनुविभागीय अधिकारी को भेजा गया। कलेक्टर जिला श्योपुर द्वारा दिनांक 28.2.17 द्वारा आवेदक का पटट्ा निरस्त किया गया, इससे दुखित होकर यह निगरानी इस न्यायालय में प्रस्तुत की गई है।

3–आवेदक अधिवक्ता का तर्क है कि अधीनस्थ न्यायालय के आदेश अवैध अनुचित एवं अनियमित होकर निरस्त किये जाने योग्य है। तर्क में यह भी कहा गया है कि प्रकरण में विवादित भूमि सर्वे कमांक 190/4 को म0 प्र0 भूदान यज्ञ बोर्ड ने लटूर पुत्र सांवलिया को पटट्े पर दिया था पटट्ा ग्रहिता लटूर ने उक्त भूमि पर कृषि कार्य नहीं किया तथा वह गांव छोड़कर चला गया। पटट्ा ग्रीहता के गांव छोड़कर चले जाने एवं भूमि रिक्त हो जाने के कारण अनुविभागीय अधिकारी ने प्रकरण कमांक 269/73–74 में पारित आदेश दिनांक 21.12.74 द्वारा लटूर का पटट्ा निरस्त कर दिया था। आवेदक द्वारा वर्ष 1991 में उक्त भूमि में से पात्रता अनुसार पटट्े के लिये आवेदन दिया भूदान यज्ञ बोर्ड समाप्त हो जाने के कारण कलेक्टर ने पटट्ा वितरण हेतु तहसीलदार को अधिकृत किया, तहसीलदार ने नियमानुसार

कार्यवाही करने के पश्चात आवेदक के हित में दिनांक 31.01.1996 को भूमि पट्टे पर प्रदान की। आवेदक अधिवक्ता द्वारा अपने तर्क में यह भी कहा है कि अनावेदक कमांक–2 पुष्पाबाई पुत्री जग्गू द्वारा की गई शिकायत के आधार पर अनुविभागीय अधिकारी ने आवेदक एवं एक अन्य पट्टाधारी बाबूलाल पुत्र जगन्नाथ के विरूद्व संहिता की धारा 170–ख के अंतर्गत प्रकरण पंजीबद्व किया एवं अभिलेख के विपरीत तथा असंगत कारण दर्शाते हुये आवेदक के विरूद्व आदेश पारित किया जाकर जिसमें आवेदक का नाम अभिलेखों से हटाये जाने तथा भूमि का आधिपत्य पूर्व पट्टाधारी लटूर के उत्तराधिकारियों को दिया जाना आदेशित किया। तर्क में यह भी कहा गया है कि आवेदक ने पूर्व पट्टेदार लटूर से भूमि प्राप्त नहीं की है, लटूर का पट्टा वर्ष 1974 में सक्षम अधिकारी ने निरस्त कर दिया था उसके 22 वर्ष बाद 1996 में आवेदक को शासन ने पट्टा दिया था। इन तथ्यों के प्रकाश में आवेदक के विरूद्व संहिता की धारा 170–ख के अंतर्गत प्रकरण चलने योग्य ही नहीं था। तर्क में यह भी कहा गया है कि पूर्व पट्टेदार लटूर का पट्टा वर्ष 1974 में निरस्त कर दिया गया था एवं आवेदक को वर्ष 1996 में भूमि पट्टे पर दी गयी, वर्ष 1974 में आवेदक को लटूर से अथवा भूमि से कोई संबंध नहीं है अतः कलेक्टर के आदेश का यह कारण की सहरिया जनजाति की भूमि का पट्टा निरस्त कराकर छल कपट पूर्वक आवेदक ने पट्टा प्राप्त किया है जबकि ऐसी कल्पना भी नहीं की जा सकती। कलेक्टर के आदेश का वह अंश भी विचाराधिकार रहित है कि आवेदक ग्राम मयापुरा निवासी नहीं था इस कारण उसे पट्टा नहीं दिया जा सकता था क्यों कि यह बिन्दु इस प्रकरण में विवादित नहीं था प्रकरण धारा 170–ख के अंतर्गत प्रारंभ किया गया था जिसमें आवेदक कहां का निवासी है यह प्रश्न विवादित नहीं था और ना ही इस बिन्दु पर कोई साक्ष्य ली गई खसरे में आवेदक का नाम आधिपत्यधारी के रूप में अंकित था पटवारी ने यदि कोई त्रुटिपूर्ण पृविष्टि कर भी दी हो तब उससे आवेदक का अधिकार विपरीत रूप से प्रभावित नहीं होता है। अंत में आवेदक अधिवक्ता द्वारा अनुरोध किया गया है कि आवेदक की निगरानी स्वीकार कर कलेक्टर का आदेश दिनांक 28.2.17 एवं अनुविभागीय अधिकारी का आदेश दिनांक 6.7.16 निरस्त करने का निवेदन किया गया है।

4–शासन की ओर से अधिवक्ता द्वारा अपने तर्क में कहा है कि अधीनस्थ न्यायालय का आदेश उचित एवं सही है उसमें किसी प्रकार के हस्तक्षेप की आवश्यकता प्रतीत नहीं होती है। अतः आबेदक द्वारा प्रस्तुत निगरानी निरस्त करने का अनुरोध किया गया है।

5–उभयपक्ष के अधिवक्तागण के तर्क सुने। प्रकरण में संलग्न अभिलेखों का अध्ययन किया गया। अध्ययन से प्रतीत होता है कि आवेदक ने पूर्व पटटेदार लटूर से भूमि प्राप्त नहीं की है, लटूर का पटटा वर्ष 1974 में सक्षम अधिकारी ने निरस्त कर दिया था उसके 22 वर्ष बाद 1996 में आवेदक को शासन ने पटटा दिया था। इन तथ्यों के प्रकाश में आवेदक के विरूद्व संहिता की धारा 170–ख के अंतर्गत प्रकरण चलने योग्य ही नहीं था। सक्षम अधिकारी ने पूर्व पटटेदार लटूर का पटटा वर्ष 1974 में निरस्त कर दिया गया था एवं आवेदक को वर्ष 1996 में भूमि पटटे पर दी गयी, वर्ष 1974 में आवेदक को लटूर से अथवा भूमि से कोई संबंध नहीं है। प्रकरण में यह भी विचार योग्य तथ्य है कि संहिता की धारा 170–ख के अंतर्गत प्रकरण तभी प्रारंभ किया जा सकता है जब प्रथम दृष्टया यह प्रतीत हो कि किसी आदिवासी से गैर अदिवासी ने किसी भी प्रकार के अंतरण से भूमि प्राप्त की है एवं ऐसा अंतरण आदिवासी के साथ किये गये कपट पर आधारित है। प्रकरण में यह भी तथ्य अवलोकनीय है कि एक ओर तो अधिनस्थ न्यायालय के आदेश में लेख किया है कि तहसीलदार द्वारा पटटा प्रदाय किया गया है और दूसरी ओर आवेदक के विरूद्व संहिता की धारा 170–ख के अंतर्गत कार्यवाही करते हुये आदेश पारित किये हैं दोनों परिस्थितियां एक –दूसरे से विपरीत है जब स्वयं अधीनस्थ न्यायालय ने यह स्वीकार किया है कि आवेदक को तहसीलदार द्वारा पटटा स्वीकृत किया है तब आवेदक के विरूद्व 170–ख के अंतर्गत कोई कार्यवाही नहीं की जा सकती इससे अधीनस्थ न्यायालयों का आदेश त्रुटिपूर्ण आदेश परिलक्षित होते हैं।

6–प्रकरण में कलेक्टर जिला श्योपुर के समक्ष मुख्य तथ्य यह था क्या आवेदक द्वारा किसी आदिवासी से कपट से भूमि अर्जित की है?, क्या आवेदक के विरूद्व संहिता की धारा 170–ख के अंतर्गत पारित किया गया आदेश स्थिर रखे जाने योग्य है?, अथवा नहीं, इस बिन्दु पर

कलेक्टर द्वारा अपने आदेश में कोई सकारण निष्कर्ष नहीं निकाला है, इसलिये कलेक्टर जिला श्योपुर का आदेश स्थिर रखे जाने योग्य नहीं है।

7—उपरोक्त विवेचना के आधार पर अनुविभागीय अधिकारी श्योपुर का प्रकरण कमांक 17/2010—11/170 (ख) में पारित आदेश दिनांक 6.7.2016 एवं कलेक्टर जिला श्योपुर का प्रकरण कमांक 31/2015—16/अपील में पारित आदेश दिनांक 28.2.17 त्रुटिपूर्ण होने से निरस्त किये जाते हैं तथा नायब तहसीलदार वृत्त गोरस तहसील व जिला श्योपुर के प्रकरण कमांक 03/1995—96/अ—86 में पारित आदेश दिनांक 31.1.96 स्थिर रखा जाता है। परिणामस्वरूप आवेदक द्वारा प्रस्तुत निगरानी स्वीकार की जाती है।

(एस0 एस0 अली)
सदस्य
राजस्व मण्डल मध्यप्रदेश
ग्वालियर